न्यायालय — न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट

प्रतिवादीगण
सीता व अन्य

बनाम

अन्तर्गत धारा 188,128 आर. टी. एक्ट एवं एल.आर.एक्ट

संख्या 59/20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23.10.2020	वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत 188,128 आर. टी. एक्ट एवं एल.आर. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण के जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 01/12/2020 को पेश हो।	

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बस्सी,जयपुर

6/11/2020 पत्रावली आज वादी एंव वादी अधिवक्ता श्री कुलदीप किशोर शर्मा के द्वारा पत्रावली पर प्रार्थना पत्र बाबत मिसल तलबी एंव प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र विड्रा किये जाने का प्रस्तुत करने उपरान्त पूर्व नियत पेशी दिनांक 1/12/2020 से आज तलब की गई। वादी एंव वादी अधिवक्ता के विड्रा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से निवेदन किया कि उनवानी वाद पत्र पेश करने के पश्चात प्रतिवादी ने विवादग्रस्त आराजी पर कुछ और भाग पर अतिचार कर पुख्ता बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कर लिया है तथा वाद पत्र पेश करते समय वाद पत्र मे कुछ तकनिकी खामिया रह गई है। इसलीए प्रार्थी अपने वाद पत्र को विड्रा कर नया वाद पेश करना चाहता है उक्त लिखित कथन वादी एंव वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र को विड्रा किये जाने के सम्बन्ध मे भी लिखित मे विवरण [illegible] जो की पत्रावली मे सलग्न है। [illegible]

[illegible] 6-11-2020
I.D.

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Verma
Date: 2021.02.11 17:16:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र को विड्रा किये जाने को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादी को नया वाद प्रस्तुत प्रस्तुत करने की स्वीकृती प्रदान की जाकर वाद पत्र जरिये विड्रा खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होने पर दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट

बस्सी जिला-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Verma
Date: 2021.02.11 17:16:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner